



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261022
CG-DL-E-14022025-261022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946

No. 771]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2025

का.आ. 775(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 167 तारीख 09/01/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में NH-530B के कि.मी. 45 से कि.मी. 66 (जिलाधिकारी कार्यालय, हाथरस) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14.01.2025" को "हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)" और "हिन्दुस्तान (हिन्दी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में **NH-530B** के कि.मी. 45 से कि.मी. 66 (जिलाधिकारी कार्यालय, हाथरस) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: हाथरस			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सासनी					
गांव का नाम: औंधुआ					
1	134	निजी (निजी)	कृषि	0.0121	इन्द्रा देवी पत्नी जुगेन्द्र सिंह, अशोक कुमार पुत्र हरलाल, संजय कुमार पुत्र हरलाल, उदय सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, गनेशीलाल पुत्र बहोरीलाल, अशोक कुमार पुत्र वासदेव, मुकेश कुमार पुत्र वासदेव, श्रीमती रजनी पत्नी महेश कुमार, चन्द्रपाल पुत्र रामचरन 134
Total				0.0121	

[फा. सं. NHAI/11013/2011-LA/Notif/2018/PIU-Agra/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2025

S.O. 775(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **167 Dated:09/01/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-530B in the stretch of land from Km. 45 to Km. 66 (Collectorate, Hathras) in the district of HATHRAS in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan Times (English)” and “*Hindustan (Hindi)*” both dated 14.01.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-530B in the stretch of land from Km. 45 to Km. 66 (Collectorate, Hathras) in the district of HATHRAS in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: HATHRAS		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sasni					
Village: Aundua					
1	134	Private	AGRICULTURE	0.0121	INDRA DEVI WO JUGENDRA SINGH, ASHOK KUMAR SO HARLAL, SANJAY SO HARLAL, UDAY SINGH SO RAGHUNATH SINGH, GANESHILAL SO BAHORILAL, ASHOK KUMAR SO VASDEV, MUKESH KUMAR SO VASDEV, SHRIMATI RAJANI WO MAHESH KUMAR, CHANDRAPAL SO RAMCHARAN 134
Total			0.0121		

[F. No. NHAI/11013/2011-LA/Notif/2018/PIU-Agra/3D]

ABHAY JAIN, Director